LR/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
16/10/17	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पास्ते कायम मुकाम कार्यवाही एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं 12 मियाद अधिनियम पेश किया था। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में प्राप्त रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्राप्त नोटिस पर तामील कुनन्दा द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि संबंधित रामचन्द्र पुत्र गोपी खटीक 5 वर्ष पहले फौत हो चुका है। जिसकी तस्दीक में दिनांक 17.04.2012 को तीन गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये है। अतः अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश की गई है इस कारण से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 9 धारा सपठित धारा 151 सीपीसी पास्ते कायम मुकाम कार्यवाही एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं 12 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। अपीलांट अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अपीलांट अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र गोपी खटीक के वारिसान को पक्षकार बनाकर पुनः अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर	